अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

(५)

आर0एम0ए0 वाद सं0–04 / 2021–22

सच्चिदानन्द प्र0 साह पिता–स्व0 राम शंकर साह, ग्राम–नोनीहथवारी, थाना–जामा, जिला दुमका बनाम् सोलह आना रैयत मौजा–कठनारा पंचायत वेदिया थाना–जामा जिला दुमका।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
18.12.24	**आदेश** प्रस्तुत आर0एम0ए0 वाद सं0–04 / 2021–22 सच्चिदानन्द प्र0 साह, पिता–स्व0 राम शंकर साह, ग्राम–नोनीहथवारी, थाना–जामा, जिला दुमका के द्वारा 16 आना रैयत मौजा–कठनारा पंचायत वेदिया, थाना–जामा जिला दुमका एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आर0एम0 वाद सं0–484 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2022 के विरूद्ध रेभेन्यू मिस अपीलवाद दायर (Rent Fixation) किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा समर्पित लिखित बहस में वर्णित है कि प्रश्नगत भूमि अनावादी खाता सं0–13 की बंजर भूमि परती कदीम है, जो स्थानीय SPT Act. के तहत् बन्दोबस्त योग्य है। याचिकाकर्त्ता एक सेवानिवृत सैन्यकर्मी है जो 2017 में सेवानिवृत हुए है। याचिकाकर्त्ता को सैन्यकर्मी होने के आधार पर उपायुक्त द्वारा आर0एम0ए0 सं0–10 / 05–06 में पारित आदेश दिनांक–31.05.2006 तथा अनुमंडल पदाधिकारी के एस0आर0 वाद सं0–22 / 02–03 में पारित आदेश दिनांक–03.12.2007 के आलोक में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक–17.06.2008 के पट्टे द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता को वसाया गया था। भूमि के बन्दोबस्त हो जाने के बाद अपीलकर्त्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आर0एम0 वाद सं0–123 / 08–09 दायर किया गया। जिसमें पारित आदेश दिनांक–12.09.2014 द्वारा उक्त भूमि पर अपीलकर्त्ता का दखल कब्जा प्राप्त हुआ। जिसका लगान धार्य तय करने हेतु अपीलकर्त्ता द्वारा आर0एम0 वाद सं–484 / 14–15 दायर किया गया। जिसमें सोलह आना रैयतों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। सरकार के अधिसूचना के निर्देशानुसार सैन्य कर्मियों को बंजर भूमि बन्दोबस्त के विशेष प्रावधानों के आलोक में उपायुक्त दुमका के न्यायालय के आदेश दिनांक–31.05.2006 के द्वारा बंदोबस्त देने की कृपा की गई है। गाँव के राजस्व रिकोर्ड मानचित्र और सर्वेक्षण रिकोर्ड में प्लॉट नं0–39 और 102 पर दफन और पूजा पाठ का संकेत पता नहीं चलता है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के विवादित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित लिखित वहस में वर्णित है कि अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के संशोधित विविध प्रकरण सं0–484 / 14–15 में पारित आदेश दिनांक–04.01.2022 के विरूद्ध निर्धारित सीमा अवधि बीत जाने के वाद उपरोक्त अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उनके आर0एम0 वाद	

सं0–123/08–09 में पारित गलत और अवैध आदेश के आधार पर अनावादी खाता के कथित प्लॉट सं0 पर भौतिक कब्जा जिसे अपीलकर्त्ता/याचिकाकर्त्ता ने समन की बलबाला तामिल के माध्यम से अदालत में धोखाघड़ी करने के बाद प्राप्त किया था। मौजा कठनारा एक सर्वाधिक आबादी वाला गाँव है जहाँ 500 से अधिक लोग रहते है। केवल अनुसूचित जनजाति ही उक्त गाँव में निवास करते है। अन्य कोई गैर आदिवासी उक्त गाँव में नहीं है। मौजा कठनारा एक प्रधानी गाँव है और प्रधान सोलह आना रैयतों से लगान वसूल कर प्रत्येक वर्ष अंचल कार्यालय जामा में लगान राजस्व जमा करता है। उक्त प्लॉट सं0–75 एवं 112 का कुल क्षेत्रफल 5 बीघा 5 कट्ठा 18 धूर है।

विपक्षी द्वारा अपीलार्थी के अपील को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

आर0एम0 वाद सं0– 10/2005–06 के अपीलकर्त्ता मौजा नोनी अंचल जामा के मसानजोर डेम के विस्थापित व्यक्ति है। इनको पूर्व में मौजा बांसकनाली के दाग नं0–92 में 1 बीघा 10 कट्ठा जमीन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्रेष्यकर नहीं समझ कर आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया है। इस संदर्भ में उपायुक्त दुमका के न्यायालय के आर0एम0ए0 वाद सं0–10/05–06 में दिनांक–31.05.2006 को निम्न आदेश पारित हुआ **"मौजा नोनी में बन्दोबस्ती हेतु 5 कट्ठा 08 धूर एवं मौजा कठनारा में खाता नं0–13, दाग नं0–112 एवं 75 में रकवा कमशः 01–14–10 धूर एवं 03–11–08 धूर जमीन किस्म पुरातन पतीत बन्दोबस्त योग्य भूमि आवेदक चाहे तो उक्त दाग पर बन्दोबस्त हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन कर सकते है। अनुमंडल पदाधिकारी बन्दोबस्त प्रकिया के अनुसार कार्रवाई करेंगे।"**

अंचल अधिकारी जामा के पत्रांक–176, दिनांक–24.04.2006 में प्रतिवेदित है कि नोनी गाँव का परती कदीम भूमि जलमग्न है एवं कुछ जमीन बन्दोबस्त हो चूका है। अवशेष भूमि 5.8 धूर है। सैनिक को घर के लिए 12.5 डी0 एवं खेती के लिए 05 एकड़ सरकारी भूमि देने का प्रावधान है। अतएव मौजा कठनारा के अनाबादी खाता सं0–13 के दाग सं0–112 एवं 75 रकवा कमशः 01–14–10 धूर एवं 03–11–08 धूर किस्म पुरातन पतीत भूमि को बन्दोबस्त का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय के एस0आर0 वाद सं0–22/02–03 में पारित आदेश दिनांक–03.12.2007 में प्रधान को आदेश दिया गया कि आर0एम0ए0 वाद सं0–10/05–06 में दिनांक–31.05.2006 को पारित आदेश के आलोक में नियमानुसार समुचित कार्रवाई करेंगे। उक्त आदेश के अनुपालन में आवेदक को प्रधानी पट्टा प्राप्त हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी के आर0एम0 वाद सं0–123/08–09 में पारित आदेश दिनांक–12.09.2014 के अनुसार "अंचल अधिकारी, जामा के पत्रांक–594/रा0, दिनांक–16.07.2014 के द्वारा प्रतिवेदित है कि उक्त वन्दोबस्ती जमीन पर बसगढ़ी एवं दखल की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। अतः प्रतिवेदन को स्वीकृत कर वाद की कार्रवाई समाप्त की गई।

उक्त सभी कार्यवाही के पश्चात् आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में आर0एम0 वाद सं0–484/2014–15 द्वारा लगान धार्य एवं पंजी–2 में नाम चढ़ाने हेतु आवेदन किया गया, जिसपर 16 आना रैयतों का आपत्ति प्राप्त हुआ। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा आदेश पारित किया गया कि

प्रश्नगत भूमि पर स्थानीय ग्रामीण वर्तमान में स्थानीय रीति रिवाज से पूजा पाठ एवं शव दहन करते है। अतः प्रश्नगत भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से लगान धार्य करना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः लगान धार्य आवेदन को अस्वीकृत किया गया। आर0एम0 वाद सं0–484/2014–15 में यह भी वर्णित है कि अंचल अधिकारी जामा के पत्रांक 278/रा0, दिनांक 10.03.2015 के द्वारा कुल बन्दोबस्त भूमि 2.21 एकड़ का लगान मोबलक 8.40 रुपया अलावे शेष धार्य करने की अनुशंसा की गई है। श्री सच्चिदानंद प्र0 साह के द्वारा मांगी गई सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामा के पत्रांक–169/बी0, जामा, दिनांक–15.02.2020 द्वारा मौजा कठनारा के दाग नं0–75 में टी0सी0बी0 के निर्माण कार्य स्थल पर बन्द कर दिया गया।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। चूंकि अपीलार्थी को प्रधान के द्वारा ही प्रधानी पट्टा प्राप्त हुआ है एवं उक्त प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती का आदेश भी उपायुक्त महोदय द्वारा प्राप्त है एवं उक्त प्रश्नगत भूमि पर बसगढ़ी एवं दखल भी अपीलार्थी को प्राप्त है। स्पष्ट है कि भूमि की बन्दोबस्ती की प्रकिया पूर्व में की जा चुकी है। प्रधानी पट्टा एवं बसगढ़ी तथा दखल अपीलार्थी को प्राप्त है। अतः अंचल अधिकारी, जामा के पत्रांक 278/रा0, दिनांक 10.03.2015 के द्वारा निर्धारित उपर्युक्त लगान धार्य को स्वीकृत करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

इस समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

8.4.25

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

8.4.25

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2025.04.08 12:17:08 +05:30
Location: 192.168.1.133